कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023 –24/5529 दिनांक 3-5-2024

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :– कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भः– अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर के पत्र कमांक 4623–24 दिनांक 24.01.2023 के कम में एवं आपका का पत्र कमांक 3920 दिनांक 26.07.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गई दिनांक 18.4.2018 की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है।

S.N	EDS Raised in REC meeting dated 18 .4. 2018	REPLY of EDS
a	Details of Alternative Examined have not been given.	
(i)	The Justification has been submitted that there is no alternative and in case if other Alternatives are explored more forest area will be required. (document at 8-c/1)	कोटा से धरनावदा मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है जो सन 1975 में ग्रेवल सडक बनी हुई थी जिसका डामरीकरण का कार्य1984–85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्यप्रदेश से जुडा हुआ है व स्टेट हाईवे है। इस मार्ग पर थर्मल पावर प्लान्ट होने के कारण आवागमन अधिक रहता है वर्तमान में उक्त सडक न्यून्तम वन क्षेत्र से गुजरती है प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं।
(ii)	The Justification is without quanitification of forest area other alternatives.	यह सडक 1975 से ग्रेवल सडक है अतः उक्त मार्ग में पडने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस मार्ग के बाई और कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राज इस्थान सीमा तक वन भूमि आती है तथा इस मार्ग के दाई और छबडा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोट, पाली, फलिया फाटक होते हुए पहुचा जा सकता हैं इसके लिये 17 की.मी अतिरिक्त दूरी तय करनी पडेगी तथा यह स्टेट हाईवे होने के कारण यह Strenghthing का कार्य

Scanned with CamScanner

		किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी इसलिये अन्य विकल्प उचित नही है।
b	Layout Plan and Cross Section Showing the Forest Area Requirement and area calculation has not been Provided.	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपी निर्माण कार्य 18 मी. चौडाई में किया गया है किन्तु उक्त सडक स्टेट हाईवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार minimum road land withth 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भविष्य की प्लानिंग ,पौधरोपण व पतव की गाईड लाईन अनुसार 30 फिट की चौडाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। संलग्न IRC की प्रति
(i)	Details are Provided in hard copy at 8/c-2 and 8c/-3.	
(ii)	As per cross Section Attached At 8-c/3 the requirement is of 18 mts width whereas area calculation sheet shows average width requirement varying from 7.13 mts to 29 mts at different chainage of road.	
c	Required no Objection certificate is not Provided.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन पाया गया है।

Scanned with CamScanner

d	Violation of FC Act has been Reported & FIR has been lodged against Contractor/ driver by ROF. However, area of violation has not been specified.	दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारीयो एव वर्तमान पर स्थापन की सूचना तथा वर्क आर्डर की कापी एव कान्ट्रेक्ट डाक्युमेन्ट की प्रति भी अधिशाषी अभियन्ता के पत्र कमांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है। 4 है0 वन क्षेत्र में violation हुआ है।
(i)	Extent violation (4.0ha) has been Provided at 8-c/11. The document is a scanned copy . the extent of violation includes only of recent work of 5 mts on both sides for 4 kms.	उक्त प्रकरण में स्टेट के 4 की.मी लम्बाई में 5–5 मी दोनो तरफ कुल 4 है0 में से सडक चौडाई करण का कार्य वन क्षेत्र में किया जा चुका है जिसकी FIR NO 7–82 दिनांक 27.9. 2013 एव रवन्ना न0 43–28 दिनांक 03.10. 2013 से दर्ज किया जाकर 62000रू जुर्माना वसूल कर अपराध शमन किया गया । जिसमें वन अपराध दर्ज करते समय 0.29 है0 का उल्लंधन पाया गया था।
(ii)	Issue of violation of FCA needs to be dealt as per latest guidelines of MOEF & CC issued on 29 january 2018 Provisions contained on page 2 at A(i) regarding cases"... where the proposal under FC Act has not been submitted and forest land is diverted without FC" shall be dealt as per provisions contained in sub section (i) & (ii) in this cases the violation is of 2013 as per part II filled by DFO and timeline shows submission of proposal by user agency on 8th may 2015.	MOEF & CC के 29 january 2018 के परिपत्र के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण से आरोपित शास्ती की राशि 610383.66/– की गई है राशि जमा कराने एव अन्य शर्तो की पालना हेतु यूजर एजेन्सी को पत्र कमांक 8889 दिनांक 08.09.2023 लिखा गया है।
	Date of violation in this case is confusing because few other dates are mentioned in report at 8/c-1 like	

Scanned with CamScanner

(iii)	construction of gravel road in 1975 application bitumen / tar in 1984-85. Therefore, the issue requires a self contained note, duly providing chronology, details of officials, actual extent with dates, copy of work related docuent etc.	यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 433 दिनांक 2707.2023 द्वारा self contained note की प्रेषित किया गया है जिसमें कोनोलोजी, पद स्थापित अधिकारीयो का विवरण ,वर्क ओर्डर की कोपी एव कोन्ट्रेक्टर डोक्यूमेन्ट की प्रति संलग्न है।

D/ Kota to Dharanawada Road

Scanned with CamScanner

(ii)		
f.	"As per DSS Analysis 1 ha only out of 13.56 ha proposed for CA is not found suitable. This may be re. examined"	DSS विश्लेषण के अनुसार 13.56 है0 में से 12.56 है0 क्षेत्र ही NFL हेतु अनुकुल पाया गया है। उसी अनुसार 12.56 है0 का NFL प्लान संलग्न कर दिया गया है।1 है0 भूमि अनुउपयुक्त पाये जाने के कारण डव्म्ध् – ब्ब के परिपत्र अनुसार अवशेष भूमि 1 है0 पर लगाये जाने वाले 1100 पौधे परिभ्राषित वन भूमि 1.57 है पर लगाये जायेंगे।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ 5530-31
दिनांक 3-5-2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।
2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

D/ Kota to Dharanawada Road

Scanned with CamScanner